**न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.**

**विभागीय अपील संख्या 11/2021**

| **अपीलान्टस** | बनाम | **रेस्पोडेन्टस** |
|---|---|---|
| गोपालराम पुत्र मानाराम<br>प्रधानाचार्य, राज0 उच्च माध्यमिक<br>स्कूल, भारेवाला, जिला—जैसलमेर। | | जिला कलेक्टर,<br>जैसलमेर। |

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 आदेष विरूद्ध जिला कलेक्टर, जैसलमेर क्रमांक प.1(12)(1) वि0जॉ0/ कार्मिक/ 2019/3451 दिनांक 26.06.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट को उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।

**उपस्थितिः——**

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, जैसलमेर अनुपस्थित।

**निर्णय**

दिनांकः नवम्बर, 2021

1. अपीलान्ट कार्मिक के द्वारा यह विभागीय अपील जिला कलेक्टर जैसलमेर के आदेश दिनांक 26.06.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर, उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष राज0 असैनिक सेवाये नियम,1958 के नियम 23 के तहत दिनांक 15.12.2020 को प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर, जैसलमेर से अपील पर उनकी बिन्दूवार टिप्पणी एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल अभिलेख पत्रावली को तलब किया गया।
3. अपीलान्ट के विरूद्ध जिला कलेक्टर जैसलमेर के पत्र दिनांक 23.10.2019 के द्वारा यह आरोप आरोपित किया गया किः——
4. दिनांक 12.10.19 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के ग्राम भारेवाला में जन सुनवाई के दौरान विध्यालय के छात्र—छात्राओं द्वारा विध्यालय समय के दोरान गणवेश में

धरना, प्रदर्शन एवं नारेबाजी की गई। उक्त छात्र–छात्राओं द्वारा राजकार्य के दौरान अवरोध उत्पन्न किया/बाधा पहुंचाई गई। पूरे घटनाक्रम के दौरान उनके द्वारा पूर्णतः अनुशासनहीन व अशोभनीय आचरण किया गया जो कि स्कूल विध्यार्थियों से कतई अपेक्षित नहीं था। उक्त घटनाक्रम बेहद खेदजनक एवं चिन्तनीय है। यदि स्कूल विध्यार्थी इस प्रकार का अनुचित आचरण करते है तो स्कूल प्रशासन ही जिम्मेदान माना जायेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो आप द्वारा इन छात्रों को इस प्रकार का आचरण हेतु प्रेरित किया गया अथवा आप अपने स्कूल के विध्याथियों में अनुशासन बनाये रखने में पूर्णतः विफल हो गये जो कि प्रधानाचार्य के रूप में आपको मुख्य जिम्मेदारी थी। ऐसा करके आप इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड कर रहे है।यह आपको गंभीर अनुशासनहीनता एवं घोर लापरवाही का घोतक है। अतएवं क्यों नहीं आपके विरूद्ध सीसीए नियम 17 में अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे, तीन दिवस में प्रत्युतर प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में जवाब प्राप्त नहीं होने पर उपरोक्त तथ्यों पर आपको सहमति समझी जायेगी तदनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, सूचित रहे।

5. अपील पर मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 02.11.21 को अपीलान्ट को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई ने यह कथन किया कि अपीलान्ट दिनांक 3.10.92 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई थी। तत्पश्चात दिनांक 5.6.18 को उनका स्थानान्तरण पदौन्नति पर राजकीय सीनियर सेकेण्डरी स्कूल भारेवाला में हो गया तब से आज दिन तक उक्त स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। श्रीमान जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा ज्ञापित आरोप पत्र के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर जैसलमेर दिनांक 5.11.19 को अपना प्रत्युतर पेश किया। जिसमें यह निवेदन किया था कि दिनांक 12.10.19 को आप श्रीमान के द्वारा ग्राम पंचायत भारेवाला में जनसुनवाई के दौरान विध्यालय के 4–5 छात्रों के द्वारा विध्यालय में अध्यापकों के 8 रिक्त पद भरने हेतु ज्ञापन दिया, जिसकी जानकारी मुझ प्रार्थी एवं विध्यालय स्टॉफ को नहीं थी। तथापि विध्यालय समय में छात्रों का विध्यालय गणवेश में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देना अशोभनीय एवं अवांछनीय कृत्य है जिसके लिये सम्बन्धित छात्रों को कारण बताओं नोटिस जारी उनका अभिकथन मय अभिभावकों के प्राप्त किया जिसमें उनके द्वारा अपने कृत्य के लिये क्षमा करते हुए भविष्य में इस प्रकार की घटना कारित नहीं करने का लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया।

6. इसी प्रकार विध्यालय में कक्षा 1 स 12 तक कुल 261 छात्र–छात्राए अध्ययनरत है। आप श्रीमान के अवलोकन के दौरान विध्यालय की कक्षाऐ पूर्ण रूप से शान्तिपूर्वक व अनुशासनात्मक तरीके से संचालित हो रही थी जिससे स्वतः परिलक्षित होता हे कि प्रार्थी अपने पद के दायित्व निर्वहन के लिये पूर्ण रूप से सजल व समर्पित है। विध्यालय में लम्बे समय से रिक्त 8 पदों के कारण कतिपय छात्रों द्वारा भावावेश में ज्ञापन सौंप दिया जिसकी जानकारी विध्यालय प्रशासन को नहीं थी। विधार्थी छात्रों द्वारा इस प्रकार ज्ञापन सौपा जाता है तो विध्यालय प्रशासन उसके लिये उत्तरदायी है। जिसके लिये मैं संस्थाप्रधान एवं विध्यालय का समस्त स्टॉक क्षमाप्रार्थी है। हम लिखित अभिकथन में आपको विश्वासदिलाते है कि ऐसी घटना की पुनरावृति नहीं होगीं। इस आधार पर अनुरोध है कि अपीलान्ट को आरोपमुक्त कर प्रकरण को पंजीबद्ध करावें। तत्पश्चात जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश के द्वारा उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई। जिसके विरूद्ध यह विभागीय अपील पेश की गई है।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि ग्राम भारेवाला के पंचायत भवन में दिनांक 12.10.19 को प्रशासन द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस समय अपीलान्ट विध्यालय में था तथा विध्यालय का स्टॉफ व विध्यार्थी स्कूल में ही थे व अध्यापन कार्य चल रहा था। तब अपीलान्ट की बिना जानकारी व अनुमति के बिना 4–5 छात्रों द्वारा इस विध्यालय के 8 रिक्त पद भरने हेतु ज्ञापन दिया गया। जिसके कारण अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस कर दिया गया। जिस व्यक्ति द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस/परिवाद जारी किया गया है उसी व्यक्ति के द्वारा अपने तथ्यों को सही मानते हुए बगैर सुनवाई का अवसर दिये आरोप पत्र जारी अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ले लिया, इस प्रकार परिवादी ही न्यायाधीश की भूमिका रहा है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित है। अपीलान्ट ने अपने प्रत्युतर में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए क्षमा मांगी थी। इसके अतिरिक्त वास्तविक तथ्य यह है कि राजकीय उच्च माध्यमिक मदासर के विध्याथियों द्वारा दिनांक 12.10.19 को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ज्ञापन दिया था जिसमें कुछ असामाजिक तत्व आ जाने के कारण के कारण मदासर में अप्रिय घटना हुई थी। कारण बताओं नोटिस में नोटिस की

प्रतिलिपि प्रधानाचार्य, मदासर को भी प्रेषित की है लेकिन उक्त विध्यालय के प्रधानाचार्य के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अपीलान्ट के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित कर दी गई।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि राज0 सिविल सेवा सर्विस (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 15 के तहत अनुशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर नहीं होकर उनका पैतृक विभाग का अधिकारी होता है। लेकिन अपीलान्अ के प्रकरण में रेस्पोडेन्ट स्वयं परिवादी होते हुए अपनी कार्यवाही का न्यायाधीश बन गये है। तथा पारित आलौच्य आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धानतों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट उपरोक्त आधारों पर स्वीकार कीजावे एवं जारी आदेश दिनांक 26.06.2020 को निरस्त किया जावें।

9. जिला कलेक्टर जैसलमेर ने अपनी टिप्पणी में यह अंकित किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.20 के विरूद्ध अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर होने से ग्राहय योग्य नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा अपने प्रत्युतर में यह माना है कि अग्राम पंचायत भारेवाला भवन में जनसुनवाई के दौरान उक्त विध्यालय के छात्रों द्वारा नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा ली जारही जनसुनवाई बाधित करने का प्रयास अपीलान्ट की जानकारी में रहा है। अपीलान्ट द्वारा उक्त घटना के लिये क्षमा याचना किये जाने व उक्त घटना की जानकारी की स्वीकारोक्ति होकर आरोपित आरोप प्रमाणित ठहराने का साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशसनिक प्राधिकारी को नोटिस जारी कर दण्डादेश पारित करने में सक्षम है। अपीलान्ट को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर समग्र विवेचन के उपरान्त प्रमाणित होने पर दण्डित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील अस्वीकार करने योग्य हैं

10. हमने अपीलान्ट के प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट जो कि प्रधानाचार्य के पद राज0 उच्च माध्यमिक भारेवाला के पर कार्यरत हैं एवं विध्यालय के छात्र–छात्राओं का आचरण एवं उन पर नियंत्रण विध्यालयाध्यक्ष का रहता है ऐसे में कुछ छात्र–छात्राओं द्वारा विध्यालय अध्यापन के दौरान जिला कलेक्टर जैसलमेर के ग्राम पंचायत भवन भारेवाला में हो रहे जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान विध्यालय समय में विध्यालय

गणवेश में जाकर अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने हेतु ज्ञापन दिया गया एवं नारेबाजी की गई एवं राजकार्य में बाधा उत्पन्न की गई। जिसकी जानकारी संस्थाप्रधान को नहीं होना स्वीकारोक्ति तथ्य नहीं है। एक संस्थाप्रधान की यह जिम्मेदारी रहती है कि विध्यालय समय में छात्र–छात्राएं अध्यापन्न के दौरान विध्यालय में ही उपस्थित रहे एवं अनुशासन नियंत्रण में रहे। परन्तु अपीलान्ट प्रधानाचार्य के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने के कारण ऐसी घटना कारित हुई, जिसके लिये अपीलान्ट ने अपने प्रत्युतर में संस्थाप्रधान एवं विध्यालय का समस्त स्टॉक क्षमा मांगी है। ऐसे में जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.20 के द्वारा उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का जो दण्ड पारित किया गया है वो पूर्ण रूप से उचित है। जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2020 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक      नवम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

**(डॉ0 राजेश शर्मा)**
**डिवीजनल कमिश्नर**
**जोधपुर**